राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः– एफ.3(2)(1)रोल/निर्वा/2016/1243 जयपुर, दिनांक : 01.03.2017

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः– जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) अजमेर, बासंवाडा, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, जोधपुर, झुन्झुनूं, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, गंगानगर, टोंक एवं उदयपुर।

विषयः– निरन्तर अद्यतन के दौरान 18–19 आयु वर्ग के मतदाताओं के पंजीयन हेतु विशेष अभियान "युवा पंजीकरण महोत्सव" की समय अवधि 15 मार्च, 2017 तक बढाये जाने बाबत।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक क्रमांकः– एफ.3(2)(1)रोल/निर्वा/2016/1199 दिनांक 25.02.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आप द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार "युवा पंजीकरण महोत्सव" के कार्य की अवधि 01 मार्च, 2017 से 15 मार्च, 2017 तक बढाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस अभियान के पश्चात् दिनांक 15 मार्च, 2017 के बाद सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावे कि उनके क्षेत्र में 18–19 आयु वर्ग का कोई भी छात्रा–छात्राऐं पंजीकरण से नहीं छूटे है। इन प्रमाण–पत्रों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले का प्रमाण–पत्र दिनांक 20 मार्च, 2017 तक आवश्यक रूप से विभाग को प्रेषित करेगे।

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– एफ.3(2)(1)रोल/निर्वा/2016/1243 जयपुर, दिनांक : 01.03.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

D/MD SIR/HINDI letter.